



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श०)
(सं० पटना 239) पटना, बुधवार, 7 अप्रैल 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं० वि०स०वि०-13/2010-1135/वि०स०।—“बिहार सम्पति विरूपण निवारण विधेयक, 2010”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-6/2010]

बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 5, 1987 की धारा-3 में संशोधन ।- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नई उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी : -

“3. किसी सम्पत्ति का स्वामी अथवा अधिभोगी, लिखित सहमति देने के पश्चात्, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो वैसा चुनाव, जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता हो, चाहे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न पर लड़ रहे हों, अपनी निजी सम्पत्ति का उपयोग, चुनाव में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ, उस अवधि में, जो चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अधिसूचित किया जाय, करने की अनुमति दे सकेगा।

इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ निजी सम्पत्ति से अभिप्रेत है वैसी सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे में हो और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता हो ।”

उद्देश्य एवं हेतु

लोकहित में मतदाताओं को जागरूक करने तथा निजी सम्पत्ति के स्वामी/अधिभोगी को सम्पत्ति का इच्छानुसार उपभोग करने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का विरूपण करने हेतु अनुमति देने तथा उससे सम्बद्ध आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य

पटना:

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान—सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 239-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>